भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

अंतःसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2009

(2009 का संख्यांक 5)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2009

फा. सं0 6–4/2009–बी एंड सीएस – भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं0 39 जो, –

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) और 45 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (iv), (vii) और (viii) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंतःसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) का रजिस्टर विनियम, 2004 (2004 का 15) में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. *(1)* इन विनियमों को अंतःसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अंतःसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) का रजिस्टर विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में,–

(क) ''ix.'' के रूप में संख्यांकित खंड के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

''(ix–क.) **''टीवी चैनलों के वितरक''** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसमें कोई समष्टि, व्यक्तियों का समूह, सार्वजनिक या निगमित निकाय, फर्म या कोई संगठन या ऐसा निकाय शामिल है जो इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों के माध्यम से, केबल के माध्यम से या अंतरिक्ष के माध्यम से टीवी चैनलों को पुनःट्रांसमिट करता है, जिन्हें आम जनता द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः रूप से प्राप्त करना आशयित है, तथा ऐसे व्यक्ति में शामिल है, परंतु सीमित नहीं है, केबल ऑपरेटर, डायरेक्ट–टु–होम ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, हैड एंड्स इन द स्काई ऑपरेटर, तथा इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाला कोई सेवा प्रदाता;'';

(ख) ''xi'' के रूप में संख्यांकित खंड में, **''हैड एंड्स इन द स्काई ऑपरेटर''** का आशय'' शब्दों के स्थान पर **''हैड एंड्स इन द स्काई ऑपरेटर''** अथवा **''एचआईटीएस ऑपरेटर** का आशय'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) ''xiii'' के रूप में संख्यांकित खंड के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''(xiii–क.) **"इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा"** अथवा **''आईपीटीवी सेवा''** से अभिप्रेत है एक अथवा अधिक सेवा प्रदाताओं के अनावृत्त नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए एड्रेसेबल मोड में मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रमों का वितरण;''।

3. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में,–

(क) खंड (ख) के उप–खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''(3) वार्षिक रिपोर्टिंग. अंतरसंयोजन करारों की रिपोर्टिंग सभी अंतरसंयोजन करारों के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के 31वें दिन को अथवा उससे पूर्व की जाएगी, जिसमें उसमें किए गए ऐसे परिवर्धन अथवा संशोधन भी शामिल होंगे, जो, यथास्थिति, उस वर्ष को जून के 30वें दिन को अथवा पिछले वर्ष की 1 जुलाई से उस वर्ष को जून के 30वें दिन तक की अवधि के भाग के दौरान वैध रहे थे अथवा जैसाकि विनियम 6 के द्वितीय परंतुक के निबंधनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह कि प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 12 के अंतर्गत इसकी शक्तियों के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना, किसी भी समय, किसी प्रसारक से किसी अंतरसंयोजन करार के विवरण मंगवा सकेगा तथा ऐसा प्रसारक प्राधिकरण द्वारा ऐसे विवरणों को मंगवाने के लिए संप्रेषण में यथानिर्दिष्ट ऐसी समय–सीमा के भीतर ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा।''।

4. प्रधान विनियमों के विनियम 5–क में,–

(क) शीर्षक में, **''डायरेक्ट–टु–होम (डीटीएच) ऑपरेटर''** शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर **''डायरेक्ट–टु–होम (डीटीएच) ऑपरेटर, एचआईटीएस ऑपरेटर तथा आईपीटीवी सेवा प्रदाता''** शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, ''सभी डायरेक्ट–टु–होम ऑपरेटर'' शब्दों के स्थान पर, ''सभी डायरेक्ट–टु–होम ऑपरेटर, एचआईटीएस ऑपरेटर तथा आईपीटीवी सेवा प्रदाता'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (ख) में, उप–खंड (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः–

''(2) नए डीटीएच प्रचालकों के लिए तथा एचआईटीएस प्रचालकों और आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रथम रिपोर्टिंग. अंतरसंयोजन करारों के लिए प्रथम रिपोर्टिंग की जाएगी–

(i) डीटीएच प्रचालकों के मामले में अंतरसंयोजन करारों के हस्ताक्षर किए जाने से तीस दिन के भीतर; और

(ii) एचआईटीएस प्रचालकों और आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के मामले में अंतरसंयोजन करारों के हस्ताक्षर किए जाने से तीस दिन के भीतर अथवा जुलाई, 2009 के 31वें दिन को, जो भी बाद में हो।

(3) वार्षिक रिपोर्टिंग. सभी अंतरसंयोजन करारों की रिपोर्टिंग सभी अंतरसंयोजन करारों के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के 31वें दिन को अथवा उससे पूर्व की जाएगी जिसमें उसमें किए गए ऐसे परिवर्धन अथवा संशोधन भी शामिल होंगे, जो, यथास्थिति, उस वर्ष को जून के 30वें दिन को अथवा पिछले वर्ष की 1 जुलाई से उस वर्ष को जून के 30वें दिन की अवधि के भाग के दौरान तक वैध रहे थे अथवा जैसाकि विनियम 6क के द्वितीय परंतुक के निबंधनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह कि प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 12 के अंतर्गत इसकी शक्तियों के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना, किसी भी समय, किसी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक, एचआईटीएस प्रचालक अथवा आईपीटीवी सेवा प्रदाता से किसी अंतरसंयोजन करार के विवरण मंगवा सकेगा तथा, यथास्थिति, ऐसा डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक, एचआईटीएस प्रचालक अथवा आईपीटीवी सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा ऐसे विवरणों को मंगवाने के लिए संप्रेषण में यथानिर्दिष्ट ऐसी समय–सीमा के भीतर ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा।''।

5. प्रधान विनियमों के विनियम 6 के खंड (क) में, ''डुप्लीकेट में'' शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :–

''तथा यह भी अंतर्विष्ट होगा,–

(i) इस आशय का एक प्रमाण–पत्र कि दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) के विनियम 4क के उप–विनियम 4क.4 के उपबंधों को भाग ख में शामिल सभी अंतरसंयोजन करारों के संबंध में कर लिया गया है;

(ii) इस आशय का एक प्रमाण–पत्र कि भाग ख में शामिल, यथास्थिति, सभी अंतरसंयोजन करारों अथवा अंतरसंयोजन करारों में परिवर्धन या संशोधन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए अथवा जारी सभी विनियमों, आदेशों और निदेशों के अनुपालन में हैं तथा वे किसी ऐसे विनियम, आदेश अथवा निदेश का उल्लंघन नहीं करते हैं''।

6. प्रधान विनियमों के विनियम 6क में, ''डायरेक्ट–टु–होम आपरेटर'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रत्येक डायरेक्ट–टु–होम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी सेवा प्रदाता'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. प्रधान विनियमों के विनियम 7 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''परंतु यह कि इस विनियम के उपबंध रजिस्टर में प्रविष्ट किसी ऐसे अंतरसंयोजन करार पर लागू नहीं होंगे–

(i) जिसके संबंध में ऐसे करार की रिपोर्टिंग की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त हो चुकी है, अथवा

(ii) जिसके संबंध में करार में यथानिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो चुकी है,

जो भी बाद में हो।''

(एन0 परमेश्वरन)
प्रधान सलाहकार (बीएंडसीएस)

टिप्पणी 1. प्रधान विनियम अधिसूचना सं0 5–29/2004–बीएंडसीएस दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें बाद में अधिसूचना सं0 6–6/2005–बीएंडसीएस दिनांक 4 मार्च, 2005, सं0 6–20/2005–बीएंडसीएस दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 और सं0 6–1/2006–बीएंडसीएस दिनांक 10 मार्च, 2006 द्वारा संशोधन किए गए।

टिप्पणी 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन अंतःसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 के उद्‌देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

<u>अनुबंध</u>

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (vii) और (viii) के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए अंतरसंयोजन करारों के रजिस्टर का अनुरक्षण करना तथा गोपनीयता संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन ऐसे रजिस्टर को ऐसी फीस के भुगतान पर जनता के किसी सदस्य के लिए निरीक्षण के लिए खुला रखना तथा ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना अपेक्षित है, जैसीकि विनियमों में उपबंधित की जाएं।

2. ट्राई ने विभिन्न प्लेटफार्मों के अंतर्गत प्रसारकों द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ अंतरसंयोजन करार को दाखिल करने तथा उनका पंजीकरण करने के लिए 31 दिसम्बर, 2004 को विनियम जारी किए थे। इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना की एक्सेस) विनियम, 2005 के अनुरूप बनाने के लिए इन्हें 04 मार्च, 2005 को संशोधित किया गया। इन विनियमों को 02 दिसम्बर, 2005 को पुनः संशोधित किया गया ताकि प्राधिकरण विनियम में संशोधन करने के स्थान पर, एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से आंकडों को दाखिल करने की पद्धति, दाखिल करने के प्रपत्रों तथा अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों को निर्दिष्ट करने में समर्थ हो सके। यह विनियम अंतिम बार 10 मार्च, 2006 को संशोधित किया गया ताकि उपबंधों की व्याप्ति को विस्तारित किया जा सके और डीटीएच प्रचारकों के लिए भी उनके अंतरसंयोजन करारों को दाखिल करना अपेक्षित किया जा सके।

3. इन विनियमों के अनुपालन में प्रसारकों तथा डीटीएच प्रचालकों द्वारा वर्तमान में अंतरसंयोजन करारों के विवरण तिमाही आधार पर दायर किए जाते हैं। तथापि, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उद्योग में प्रधानतः वार्षिक आधार पर अंतरसंयोजन करार करने का प्रचलन है और वे भी मुख्य रूप से एक कैलेण्डर वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के लिए किए जाते हैं। इसके साथ–साथ, अंतरसंयोजन करारों को हस्ताक्षर करने के प्रक्रिया भी टीवी चैनलों के नए वितरकों के साथ किए जाने वाले करारों, नए चैनलों/बुके के प्रारंभ होने, विद्यमान करारों के निबंधन और शर्तों में संशोधन आदि के कारण पूरे वर्ष जारी रहती है। डीटीएच के मामले में, कभी–कभी अंतरसंयोजन करार पांच वर्ष के लिए अथवा इससे भी अधिक अवधियों के लिए होते हैं।

4. प्राधिकरण ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को जारी "प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित अंतरसंयोजन मुद्दों पर परामर्श–पत्र" नामक परामर्श–पत्र में करारों को दायर करने की अवधि के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया। अधिकांश पणधारक प्राधिकरण के साथ इन करारों के दायर किए जाने की अवधि को बढ़ाने के पक्ष में हैं। प्राप्त हुई लिखित टिप्पणियों के विश्लेषण तथा 06 फरवरी, 2009 को कोलकाता में हुई ओपन हाउस चर्चा के

आधार पर प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अंतरसंयोजन करारों को दाखिल करना वार्षिक आधार पर होना चाहिए। प्राधिकरण ने 1 जुलाई से 30 जून की अवधि के लिए दाखिल किए जाने वाले वार्षिक करारों को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्राप्त करने का निर्णय लिया। इस अवधि का चुनाव करारों के संबंध में उद्योगों के कैलेण्डर वर्ष आधार पर अथवा वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रचलित संव्यवहार को शामिल करने के लिए किया गया है।

5. प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रसारकों द्वारा सभी अंतरसंयोजन करार लिखित रूप में होने चाहिए। तदनुसार, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में दिनांक 17 मार्च, 2009 को एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार ऐसा करना प्रसारकों और एमएसओ का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसा लिखित करार निष्पादित करने के उपरांत उसे टीवी चैनलों के वितरकों को सौंप दें। तदनुरूप, इस संबंध में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का उपबंध भी वर्तमान विनियम में अंतर्विष्ट किया गया है।

6. हालांकि, यथासंशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 12 के अधीन प्राधिकरण को शक्ति प्राप्त है कि वह सेवा प्रदाताओं से जानकारी मंगवा सके, फिर भी, किसी निर्दिष्ट अंतरसंयोजन करार के लिए सेवा प्रदाता को दिए जाने वाले नोटिस की अवधि के मुद्दे पर ऊपर उल्लिखित परामर्श–पत्र में चर्चा की गई थी। पणधारकों का मत था कि ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए 15 से 30 दिन की नोटिस अवधि रखी जानी चाहिए। मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ऐसी जानकारी/विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा को, आवश्यकता एवं तात्कालिकता के आधार, ऐसी जानकारी/विवरण मंगवाने के संप्रेषण में निर्दिष्ट किया जाए।

7. प्राधिकरण ने उक्तसंदर्भित परामर्श–पत्र में प्राधिकरण के साथ अंतरसंयोजन दाखिलों के विवरणों को बनाए रखने के लिए अवधि पर भी चर्चा की है। बनाए रखने की अवधि के लिए टिप्पणियां उसे 3 से 5 वर्षों की अवधि के बीच की गईं थीं। पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दाखिल किए जा रहे आंकड़ों की विशाल मात्रा पर विचार करते हुए प्राधिकरण का यह मत है कि ऐसा दाखिल किया जाना, उन्हें दाखिल किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा करार की वैधता की अवधि की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, रखा जाए और, तदनुसार, इस प्रयोजन के लिए विनियमों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

8. इन विनियमों को नए प्लेटफार्म अर्थात् एचआईटीएस प्रचालकों तथा आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को प्रसारकों के साथ उनके अंतरसंयोजन करारों को प्राधिकरण को वार्षिक आधार पर दायर करने में समर्थ बनाने के लिए भी संशोधित किया गया है।

––––––––